न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर प्रार्थना पत्र/01/2018 तारीख रजु 10.01.2018

उनवान

1 हेमराज पुत्र हरिमन जाति मीना वगै0 निवासी कोटरी तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0)

——प्रार्थीगण(07)

बनाम

1 कल्याण पुत्र नथुआराम वगै0 जाति मीना निवासी कोटरी हिण्डौन, जिला करौली (राज0)

——अप्रार्थीगण(03)

उपस्थिति:—

प्रार्थी की ओर से :— श्री मोहन अवस्थी एडवोकेट
अप्रार्थी की ओर से :— श्री श्यामलाल शर्मा हिण्डौन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक—10.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीयान ने प्रार्थना पत्र धारा 128 भू राजस्व अधिनियम खिलाफ अप्रार्थीयान पेश कर अवगत कराया गया है कि आराजी खसरा नं0 164 व पुराना खसरा नं0 214 के अनुसार खसरा नं0 807 रकबा 1.40 हैक्ट0 भूमि ग्राम कोटरी में स्थित है जो कि प्रार्थीयान की खातेदारी एवं काश्त की भूमि है। इस आराजी के पास खसरा नं0 824,825 स्थित है जो अप्रार्थीयान की खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थीयान की नियत में वदयान्ति आ गई है और प्रार्थीयान के आराजी में घुसकर डोलमेड को तोडते हुए भूमि को दबाने पर आमादा है प्रार्थीयान ने अप्रार्थीयान को समझाने का काफी प्रयास किया मानते नहीं हैं झगडा करने पर उतारू हैं। इस कारण प्रार्थीयान ने अपनी खातेदारी भूमि पर चारों तरफ पत्थरगढी कराने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान का दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीयान वकालतन उपस्थित आये और जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया अपने जबाव कथन में विवादित आराजी प्रार्थीयान की खातेदारी होना स्वीकार करते हुए अंकन किया कि भूमि पर कोई विवाद नहीं है बल्कि दिनांक 27.11.2017 को हेमराज को छोटा भाई ओमराम मीना पुत्र हरिमन मीना ने तथा उनके चाचा के दो लडकों ने अप्रार्थी कल्याण की पुत्री का शारिरिक शोषण किया। जिसकी एफआईआर थाना सदर हिण्डौन में दिनांक 01.12.2017 को दर्ज कराई गई। जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान में विचाराधीन है। मात्र गुमराह करने के लिए यह प्रकरण दर्ज कराया गया है। यदि भूमि पर विवाद होता तो इस इस एफआईआर से पूर्व वाद दर्ज कराना चाहिए इन आराजी का ग्राम स्तर पर पंच पटेलों द्वारा का पक्षकारों के मध्य सीमा/मेड का काफी समय पूर्व बाहमी तौर पर फैसला किया जा चुका है तथा इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज होने पर यह प्रकरण दर्ज किया गया। भूमि विवाद का कोई विवाद नहीं है। फिर भी प्रार्थीयान की पत्थरगढी में अप्रार्थीयान का कोई विरोध नहीं है। अंत में प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

उभय पक्षकारान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 807 प्रार्थीयान एवं खसरा नं0 824, 825 अप्रार्थीयान की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी ग्राम कोटरी में स्थित है जो एक–दूसरे की डोल–मेड मुताबिक नक्शा ट्रेस से मिली हुई है जहाँ पर वकील गैरसायल का अपने जबाव का प्रार्थना पत्र एवं बहस में कथन था कि भूमि विवाद न होकर अप्रार्थी कल्याण की पुत्री के साथ शारीरिक शोषण की बजह पर यह प्रकरण दर्ज कराया है। वहाँ पर यह है कि अप्रार्थीयान द्वारा इस शारिरीक शोषण के खिलाफ सदर थाना हिण्डौन में एफआईआर दर्ज कराई है जो अलग विवाद है उसका निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना है। इस न्यायालय में राजस्व विवादों का निस्तारण किया जाता हैं। तथा कोई भी खातेदार एवं काश्तकार अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए सीमाज्ञान कराते हुए इसे पत्थर–गढी कराने का अधिकारी रखता है। अप्रार्थीयान द्वारा इस पत्थर गढी कराने में अपना अब कोई विराध भी नहीं किया गया हैं प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 128 भू राजस्व अधिनियम प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीदार हिण्डौन को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकरों को मौका पर सीमाज्ञान करने हेतु सूचना जारी कर उनकी उपस्थिति आराजी ख0नं0 807 रकबा 1.40 हैक्ट0 वाके ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन का सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी करावें। प्रार्थीयान तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार सीमाज्ञान की शुल्क जमा करावें। मौका कमिश्नर को पालना कराने हेतु पृथक से तहरीर जारी करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.08.06 13:52:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: